



राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर, जयपुर पीठ, जयपुर

(Phone: 0141-2227481, 222755, 2227602 FAX, 2385877)

(Toll Free Help Line: 15100, E-mail: rj-slsa@nic.in, rslsajp@gmail.com, website: www.rlsa.gov.in)

क्रमांक: रालसा/४३

दिनांक: 27.02.2017

कार्यालय आदेश

इस कार्यालय के द्वारा पूर्व में जारी कार्यालय आदेश रालसा/243 दिनांक 12.09.2016 की निरन्तरता में यह आदेश जारी किया जाता है कि दिनांक 18.02.2017 से 20.02.2017 तक आयोजित हुए **20-hour refresher courses** एवं भविष्य में आयोजित होने वाले सभी **“Awareness, Coaching and Mentoring Programmes”** एवं **“20-hour refresher courses”** में भाग लेने वाले प्रशिक्षक मध्यस्थों, जिसमें न्यायिक अधिकारी एवं अधिवक्ता दोनों सम्मिलित हैं, के यात्रा व्यय, दैनिक भत्तों एवं मानदेय आदि का पुनर्भुगतान उनके पदस्थापित/कार्यरत स्थान के जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से पूर्व में जारी कार्यालय आदेश रालसा/243 दिनांक 12.09.2016 के अनुसार देय होगा।

Sd/—


एस.के. जैन
सदस्य सचिव

क्रमांक: रालसा/ 27737 - 27841

दिनांक: 27.02.2017

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अध्यक्ष, समस्त जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, राजस्थान।
2. समस्त 07 प्रशिक्षक मध्यस्थ, राजस्थान राज्य।
3. स्थापना/मध्यस्थता शाखा, कार्यालय हाजा।
4. प्रभारी अधिकारी, लेखा शाखा, कार्यालय हाजा।
5. रक्षित पत्रावली।

 27/2/17

अनुतोष गुप्ता

उप सचिव

एक्शन प्लान एण्ड ए.डी.आर